# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

**राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./92/2024/बाड़मेर**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| 1. ठाकरा पुत्र नाथाराम जाति जाट निवासी गडरारोड़ तहसील गडरारोड़<br>2. चांदी पत्नी सालार<br>3. दायम खां पुत्र भीखा खां<br>4. भीखा पुत्र शेरा<br>5. साहमीर खान पुत्र हाजी हिन्दा<br>6. सबीरा पत्नी साहमीर खान<br>7. हनी पत्नी फजीया<br>8. हस्तु पत्नी अकबर खां जाति मुसलमान निवासी लालासर तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर | | 1. खुशबू राठी पत्नी धनेश राठी जाति महेश्वरी निवासी महेश्वरी सोसायटी कड़ी जिला महेसाणा (गुजरात)<br>2. ज्योती राठी पत्नी महेश कुमार जाति महेश्वरी निवासी पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली<br>3. दुर्गा पत्नी मनोहरलाल पनपालिया जाति महेश्वरी निवासी राईका बाग जोधपुर<br>4. दिव्या पत्नी विक्रम महेश्वरी जाति महेश्वरी निवासी आकाश अर्पाटमेंट वेभव बंग्लो के सामने, गुलाब टावर के पास सताधार क्रास रोड़ थलतेज अहमदाबाद (गुजरात)<br>5. उमेश कुमार पुत्र वासूदेव<br>6. भावेश कुमार पुत्र वासूदेव<br>7. सवित्रिदेवी पत्नी वासूदेव<br>8. वसूदेव पुत्र हंसराज<br>9. जगदीश पुत्र उदाराम<br>10. प्रवीण कुमार पुत्र उदाराम<br>11. पिताम्बरदास पुत्र उदाराम<br>12. मणीदेवी पत्नी वासूदेव<br>13. राधा पत्नी लेखराज<br>14. लेखराज पुत्र उदाराम<br>15. वासूदेव पुत्र उदाराम<br>16. हुन्दराज पुत्र उदाराम जाति महेश्वरी निवासी गडरारोड़ तहसील गडरारोड़<br>17. इन्द्राबेन पुत्री उदाराम पत्नी अशोक कुमार जाति महेश्वरी निवासी मोभा गांव तहसील पादरा जिला बड़ोदरा (गुजरात)<br>18. गिरिश भाई पुत्र जगदीश जाति महेश्वरी निवासी सिसवा तहसील बोरसंद जिला आंणद<br>19. जेवन्ती बेन पुत्री उदाराम पत्नी विक्रम भाई जाति महेश्वरी निवासी जयराज वसाहत इच्छापुर तहसील चौरासी जिला सूरत |

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

| | |
|---|---|
| | 20. तनसुख पुत्र उदाराम जाति महेश्वरी निवासी अहमदाबाद जिला अहमदाबाद<br>21. थिरपाल पुत्र उदाराम जाति महेश्वरी निवासी डिसा जिला बनासकांठा<br>22. दिलीपकुमार जगदीश जाति महेश्वरी निवासी नवागांव तहसील वसो जिला खेड़ा<br>23. भगवती बेन पुत्री उदाराम पत्नी भंवरलाल जाति महेश्वरी निवासी थराद जिला बनासकांठा<br>24. शांतिदेवी पुत्री उदाराम पत्नी भैरूलाल जाति महेश्वरी निवासी कुन्दलवास तहसील सिवाना जिला महेसाणा<br>25. संतोष महेश्वरी पुत्र हुन्दराज जाति महेश्वरी निवासी नयापुरा तहसील सिवाना<br>26. मनोज कुमार पुत्र हुन्दराज<br>27. गंगादेवी पत्नी विरधाराम<br>28. घमण्डाराम पुत्र लिखमाराम<br>29. तेजाराम पुत्र जेताराम<br>30. भगाराम पुत्र जेताराम<br>31. टुगी पत्नी जेताराम<br>32. विरमाराम पुत्र विरधाराम जाति जाट निवासी खड़ीन तहसील रामसर जिला बाड़मेर |

**अपोल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 42/2023 बउनवान खुशबू राठी बनाम ठाकरा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री भजनलाल गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल उतरदाता संख्या 01 से 04 की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः—15.05.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा ओनाड़ा के खसरा संख्या 354/156 रकबा 6.0703 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत मौजा ओनाड़ा के खसरा संख्या 667/151 रकबा 14.1073 हैक्टेयर, खसरा संख्या 862/157 रकबा 29.6230 हैक्टेयर, खसरा संख्या 585/354 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, खसरा संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

156 रकबा 19.4006 हैक्टेयर, खसरा संख्या 356/163 रकबा 29.6148 हैक्टेयर में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में निकटतम कदीमी चलायमान रास्ता चाहा गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट में निकटतम रास्ता होते ये भी अपने स्वयं के द्वारा दिनांक 19.09.2024 को निकटतम रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार परिशिष्ठ 'ब' प्रार्थीगण को अपीलकर्ता के कृषि जोत में से चलायमान होकर जाने का आदेश अपीलाधीन पत्रावली के सरवरक पर "आदेश निकटतम" रास्ता अभिलिखित कर पेशकार को दी गई जिस पर अपीलकर्ता ने अपनी सहमति भी दी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं के आदेश को ही बदलते ये दुरस्त रास्ता परिशिष्ट 'अ' चलायमान नहीं होते हुऐ भी प्रार्थीगण को दिया गया। प्रार्थीगण मौजा ओनाड़ के निवासी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम रास्ते का विकल्प होने के बावजूद अपीलांटस की खातेदारी भूमि से दूर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता संख्या 01 से 04 का प्रार्थना–पत्र पर स्वीकार कर आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्व जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेंटस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प में मौके पर धौरा अवस्थित है। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से सुगम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण/उत्तरदाता की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई सुगम विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलांटस द्वारा येन केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 42/2023 बउनवान खुशबू राठी बनाम ठाकरा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

15/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी)
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर